निगरानी निगरानी 1461-II-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रेवेन्यू निगरानी प्र.क्र.........................../2015

गुलाबसिंह पिता कुशालसिंहजी राजपूत,

आयु- 45वर्ष करीबन धंधा- कृषि,

निवासी-हाड़ी पिपल्या तह. मनासा, जिला नीमच म.प्र. ....निगरानीकर्ता

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 10-6-15 को प्रस्तुत
10-6-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मांगीबाई उर्फ जमनाबाई पिता बोथलालजी माली

आयु-59 वर्ष करीबन, धंधा- कृषि

निवासी-हाड़ी पिपल्या तह. मनासा, जिला नीमच म.प्र..........विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत्।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी पेश कर निवेदन है किः-

Srivastava
10.6.2015
प्रदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट

यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय मनासा के समक्ष मौजा पिपल्या हाडी तह. मनासा, जिला नीमच स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 413 रकबा 2.984 हे. की भूमि जो कि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट मांगीबाई उर्फ जमनाबाई पिता बोथलाल माली के नाम भूमि स्वामी के नाम से दर्ज है पर निगरानीकर्ता का विगत 15 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा होने से राजस्व कागजात में निगरानीकर्ता का कब्जा दर्ज किये जाने बाबत आवेदन पत्र दिनांक 05/01/2012 को प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार महोदय मनासा द्वारा उक्त आवेदन पत्र प्रकरण क्र. 40/अ-6/2011-12 विधिवत रूप से दर्ज करते हुए उभय पक्ष को तलब किया गया एवं प्रकरण में विधिवत रूप से विज्ञप्ति जारी

निरंतर........2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1461–दो/2015 जिला नीमच

गुलाबसिंह विरूद्ध मांगीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–7–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच के प्रकरण कमांक 05/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28–04–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि मौजा पिपल्या हाडी तह0 मनासा जिला नीमच स्थित भूमि सर्वे नम्बर 413 रकबा 2.984 है0 भूमि पर विगत 15 वर्षों से अधिक समय से कब्जा होने के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार मनासा ने प्रकरण कमांक 40/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09–3–2012 को खसरा नम्बर 12 में आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त कार्यवाही की जानकारी अनावेदिका को थी, परन्तु अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 2 वर्ष 7 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। 3/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि की रिकार्ड भूमिस्वामी है। अनावेदिका को खसरे की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि पर राजस्व अभिलेख में	

आवेदक का कब्जा दर्ज कर दिया गया है। इसकी शिकायत अनावेदिका ने कलेक्टर को की तथा अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी दिनांक से समय–सीमा में अपील दायर की। अनावेदिका को कब्जा दर्ज करते समय किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी। तहसीलदार को उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर कब्जा दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील को समय–सीमा में माना है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख एवं संलग्न दस्तोवजों का परिशीलन कर अनावेदिका को भूमिस्वामी होने के बावजूद भी उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर कब्जा दर्ज करने के पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिये जाने एवं आदेश को संसूचित नहीं होना माना है। चूंकि अपीलार्थी रिकार्डेड भूमिस्वामी है अतः उसको बिना सूचित किए उसकी भूमि पर कब्जा दर्ज करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील को जानकारी दिनांक से समय–सीमा में मानने में अनुविभागीय अधिकारी ने किसी प्रकार की

कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपील का अभी गुण–दोष पर निराकरण होना जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य